कार्यालय,नगर परिषद जमालपुर

पत्रांकः–......................

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
समाजिक प्रक्षेत्र–1 बिहार पटना

जमालपुर/दिनांकः–...............

विषयः– **अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–505/2014-15 के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक– एल0 ए0/ एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/14476/2201 दिनांकः–30/01/2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध कहना है कि नगर परिषद जमालपुर में वित्तीय वर्ष 2013–14 का किये गये अंकेक्षण के लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,जमालपुर

ज्ञापांक– 2908 दिनांक– 05/12/18

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,जमालपुर

05.12.18

F:\SHASHI(HCL)\N.P\LT/UD&HD-OK-2018

नगर परिषद जमालपुर

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 – 505/2014–15 का शेष बचे कंडिका का निराकरण प्रतिवेदन

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
		भाग – I	
1.	1.	प्रस्तावना।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	2.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	उपस्थापित नहीं किये गये एवं असंघारित अभिलेखों को संघारित कर अगले लेखा परीक्षा में उपस्थापित कर दिया गया है।
3.	3.	प्रशासन ।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	4.	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन।	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा में से प्रतिवेदन सं0 – 407/2007–08 वर्ष 2002–03 से 2006–07 एवं 11/2009–10 वर्ष 2007–08 एवं 184/2011–12 वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 एवं 470/12–13 वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 एवं 613/2013–14 वर्ष 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा महालेखाकार बिहार पटना को भेजी गई है। आपत्ति कंडिकायें में से निरस्त कंडिकायें एवं लंबित कंडिकायें की सूची महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। लंबित कंडिकायें का अनुपालन किया जा रहा है। (देखें Annexure -1)
5	5.(क)	वित्तीय अधिदृश्य (पी0 एल0 खाता)	रोकड़बही एवं ट्रेजरी पासबुक के अंत शेष के अंतर राशि का समाशोधन किया जा रहा है।
6.	5.(ख)	वित्तीय अधिदृश्य (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)	बैंक खाता अद्यतन कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण मुंगेर को उपलब्ध करा दी गई है। (देखें Annexure -2)
7.	5.(ग)	वित्तीय अधिदृश्य (स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना)	कोई टिप्पणी नहीं ।
8.	5.(ध)	वित्तीय अधिदृश्य (13वां वित्त आयोग)	बैंक समाधान विवरणी तैयार कर लिया गया है। (देखें Annexure -3)
9.	6.	सरकारी ऋण	ऋण पंजी का संधारित है। वर्ष 1972–73 से 2005–06 तक की अवधि में प्राप्त ऋण 323.20 लाख रू0 मात्र नगर परिषद जमालपुर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर वापस कर दी जाएगी।
10.	7.	लेखा परीक्षा का परिणाम	कोई टिप्पणी नहीं ।
11.	8.	धाटे का बजट प्राक्कलन	कर्मियों को बजट तैयार करने का प्रशिक्षण नहीं रहने तथा विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं रहने के कारण पूर्व में धाटे का बजट तैयार किया गया था। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक –02/प्र0स0को0 दिनांक – 01/01/2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 से लाभ का बजट तैयार कर विभाग को ससमय भेजा गया तथा विभाग द्वारा इसे जॉच कर अनुमोदित करते हुए बिना संसोधन के वापस किया गया है। इस प्रकार बजट विहित प्रकिया के तहत तैयार किया जा रहा है। (देखें Annexure -4)
		भाग – II खंड – (क)	
12	01.(क)	निष्क्रिय उपकरण पर अनावश्यक व्यय	नगर परिषद द्वारा 13वां वित्त आयोग योजना अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तहत कय किये गये 32 कूड़ा साईकिल रिक्शा, 09 हाईड्रोलिक टीपर एवं 02 ट्रैक्टर ट्रेलर का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत धर–धर कूड़ा उठाव हेतु किया जा रहा है।
13.	01.(ख)	एकल निविदा पर कय	नगर परिषद द्वारा विधिवत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन कर विभिन्न फर्मो से कोटेशन प्राप्त किया गया हैं। तकनीकी बीड में सिर्फ एक फर्म मेसर्स प्रभ दयाल ओम प्रकाश हौजकाजी नई दिल्ली को सफल पाये जाने पर इनका निविदा स्वीकृत किया गया है जिसके लिए प्रावधान है। (देखें Annexure -5)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर

भाग – II खंड – (ख)			
क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
14	01.(i)	अधिक भुगतान (मो0 29414.00)	योजना सं0–06/2012–13 (बी0 आर0 जी0 एफ0) वार्ड सं0–09 महल्ला–रामपुर में पी0 सी0 सी0 कार्य हेतु मापी पुस्तिका में अंकित राशि मो0 435747.00 रू0 के विरूद्ध मो0 425800.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। प्राक्कलित राशि 425800.00 से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। सड़क की लंबाई में विचलन परिस्थिति के अनुसार की गई है। कार्य स्थल के अनुरूप किया गया है। संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मापी पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure -6)
15	01.(ii)	अधिक भुगतान (मो0 32657.00)	योजना सं0–05/2012–13 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) वार्ड सं0–29 महल्ला–फरीदपुर में पी0 सी0 सी0 कार्य हेतु मापी पुस्तिका में अंकित राशि मो0 394470.00 रू0 के विरूद्ध मो0 39470.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। प्राक्कलित राशि 394900.00 से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। सड़क की लंबाई में विचलन परिस्थिति के अनुसार की गई है। कार्य स्थल के अनुरूप किया गया है। संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मापी पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure -7)
16	01.(iii)	अधिक भुगतान (मो0 38063.00)	योजना सं0–02/2012–13 (बी0 आर0 जी0 एफ0) विभिन्न वार्ड में 03 अदद समरसेबुल बोरिंग एवं प्याउ निर्माण कार्य हेतु मापी पुस्तिका में अंकित राशि मो0 791003.00 रू0 के विरूद्ध मो0 791003.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। प्राक्कलित राशि 804000.00 से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मापी पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure - 8)
17	01.(iv)	अधिक भुगतान (मो0 37899.00)	योजना सं0–05/2012–13 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) वार्ड सं0–27 महल्ला–नक्कीनगर में पी0 सी0 सी0 कार्य हेतु मापी पुस्तिका में अंकित राशि मो0 404336.00 रू0 के विरूद्ध मो0 390000.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। प्राक्कलित राशि 390000.00 से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। सड़क की लंबाई में विचलन परिस्थिति के अनुसार की गई है। कार्य स्थल के अनुरूप किया गया है। संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मापी पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure -9)
18	01.(v)	अधिक भुगतान (मो0 41865.00)	योजना सं0–05/2012–13 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) वार्ड सं0–25 महल्ला–मोहनपुर लकड़ी गोला रोड में पी0सी0सी0 कार्य हेतु मापी पुस्तिका में अंकित राशि मो0 460357.00 रू0 के विरूद्ध मो0 411600.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। प्राक्कलित राशि 411600.00 से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। सड़क की लंबाई में विचलन परिस्थिति के अनुसार की गई है। कार्य स्थल के अनुरूप किया गया है। संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मापी पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure -10)
19	02	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अनतर्गत नगर परिषद सब्जी मार्केट में दुकान निर्माण	
20	02(क)	एकल निविदा पर कार्य का कियान्वयन	एकल निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी से उपर स्तर के पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।
21	02(ग)	एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0 के दिशा–निर्देश का उल्लंधन	नगर परिषद सब्जी मार्केट में दुकान का निर्माण इसी उद्वेश्य से कराया जा रहा था ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यार्थीयों को दुकान आवंटित कर रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके।

26/11/18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, [illegible]

05-12-18

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
22	03	असमायोजित अग्रिम (मो0–1297855.00)	अग्रिम के समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है। नोटिस निर्गत किया गया है। मो0 495369/– रू0 की वसूली की जा चुकी है। अग्रिम प्राप्त करने वालों में अधिकांश मृत रहने के कारण वसूली में कठिनाई आ रही है जिसके लिए विभाग से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है। (देखें Annexure -11)
23	04	मोबाईल टावर कंपनियों से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं	बिहार संचार मिनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के आलोक में ट्रांसमिशन टावर कंपनियों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसके सार्थक परिणाम आ रहें हैं। संचार कंपनियों द्वारा पंजीकरण व नवीकरण शुल्क की राशि जमा की जा रही है।(देखें Annexure-12)
24	05	निधि का अवरोधन	चतुर्थ राज्य वित्त (असंबद्ध अनुदान) की आवंटित राशि मो0–500000.00 का उपयोग कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेज दी गई है। प्रशासनिक भवन हेतु आवंटित राशि जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण विभागीय निर्देशानुसार मो0 4453675.00 रू0 वापस कर दी गई है। नागरिक सुविधा अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु प्राप्त राशि को जमीन उपलब्ध न रहने के कारण विभागीय आदेश के आलोक में मो0 8000000.00 रू0 वापस कर दी गई है। (देखें Annexure -13)
25	06	कम जमा राशि	कम जमा की गई राशि को जमा करा दी गई है। (देखें Annexure-14)
26	08	निविदा/डाक की राशि का कम जमा किया जाना।	कम जमा राशि मो0 16000/– रू0 की वसूली की जा चुकी है। (देखें Annexure -15)
27	10	अनियमित व्यय	हाई मास्ट लाईट के मरम्मति हेतु क्रय किए गये 09 चौक में से 08 की स्वीकृति प्राप्त है। लाईट मरम्मति करने के लिए 01 चौक की अतिरिक्त आवश्यकता रहने के कारण जनहित में 01 अतिरिक्त चोक क्रय किया गया जिसका विपत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित है।
28	12	श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना।	जानकारी के आभाव में पूर्व में श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई। इस गलती की पूर्नावृति नहीं की जाएगी। श्रम उपकर की कटौती प्रारंभ कर दी गई है तथा संबंधित शीर्ष में जमा की जा रही है। (देखें Annexure -16)
29	13(i)	बकाया मकान कर	बकाया मकान कर की वसूली की जा रही है।
30	13(ii)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना।	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का 10 प्रतिशत काटकर नियमानुसार शेष राशि राज्य कोषागार में जमा कर दी गई है। (देखें Annexure -18)
31	14	बकाया दुकान किराया	बकाया दुकान किराया की वसूली की जा चुकी है।

TAN

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
32	01	सरकारी अनुदान	वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2013–14 तक के प्राप्त सरकारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के समक्ष प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को भेज दी गई है। (देखें Annexure -19)
33	02	लेखा का संधारण	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 86, 88, 89 एवं 90 का अनुपालन किया जा रहा है।

26/11/18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर
05-12-18

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
34	03	होल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुर्नवर्गीकरण नहीं किया जाना	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(13) के आलोक में होल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुर्नवर्गीकरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक – 3112 दिनांक–26.12.2013 द्वारा प्राप्त निर्देश एवं पत्रांक – 3135 दिनांक–30.12.2013 द्वारा प्राप्त दर के आलोक में बोर्ड की बैठक दिनांक–18.03.2016 के पारित प्रस्ताव सं0–02 द्वारा स्वीकृत दर एवं दिनांक–29.04.2016 के पारित प्रस्ताव सं0–09 द्वारा वर्गीकृत सड़क का अनुमोदन विभागीय पत्रांक– 2140 दिनांक–21.03.2017 एवं पत्रांक–6522 दिनांक–06.10.2017 द्वारा करा ली गई है एवं होल्डिंग टैक्स का पुर्नरीक्षण कार्य कर लिया गया है। (देखें Annexure -20)
35	04	संपदा पंजी का संधारण नहीं	नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के दिशा–निर्देश में मेसर्स मुखर्जी विश्वास व पाठक, फेंसी लेन कोलकता द्वारा नगर परिषद जमालपुर का अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार किया गया है जिसका अनुमोदन नगर परिषद जमालपुर बोर्ड की बैठक दिनांक – 28.02.2014 के पारित प्रस्ताव संख्या–04 में किया जा चुका है। सम्पदा पंजी को विभाग के वेबसाईट urban.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
36	05	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	कोई टिप्पणी नहीं
37	06	सामान्य अभियुक्ति	सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है।

26/3/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

05-12-18